



Los Angeles काउंटी रजिस्ट्रार-रिकॉर्डर/काउंटी क्लर्क

मतदान करने के समय की छुट्टी

मतदान केंद्र चुनाव के 10 दिन पहले सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे के बीच खुले रहते हैं। चुनाव के दिन, उन घंटों को सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक बढ़ा दिया जाता है।



यदि आप उस समय के दौरान काम पर जाने के लिए निर्धारित हैं और आपके पास राज्यव्यापी चुनाव में मतदान करने के लिए काम के घंटों के बाहर पर्याप्त समय नहीं है, तो कैलिफ़ोर्निया कानून आपको बिना कोई वेतन खोए मतदान करने के लिए दो घंटे तक की छुट्टी लेने की अनुमति देता है।

आपको वोट देने के लिए जितना समय चाहिए उतना समय ले सकते हैं, लेकिन उस समय में से केवल दो घंटे का ही भुगतान किया जाएगा।

मतदान के लिए आपका समय केवल आपकी नियमित कार्य पाली की शुरुआत या अंत में हो सकता है, जो भी मतदान के लिए सबसे अधिक खाली समय और आपकी नियमित कार्य पाली से कम से कम समय की अनुमति देता है, जब तक कि आप अपने नियोक्ता के साथ कोई अन्य व्यवस्था नहीं करते हैं।

यदि चुनाव से तीन कार्य दिवस पहले आपको लगता है कि मतदान के लिए आपको समय की आवश्यकता होगी, तो आपको चुनाव से कम से कम दो कार्य दिवस पहले अपने नियोक्ता को सूचित करना चाहिए।



Los Angeles काउंटी रजिस्ट्रार-रिकॉर्डर/काउंटी क्लर्क

मतदान करने के समय की छुट्टी

मतदान के लिए कर्मचारी के समय के संबंध में नियोक्ताओं के लिए सूचना

राज्य कानून (कैलिफ़ोर्निया चुनाव संहिता धारा 14001) आवश्यक करता है नियोक्ताओं को अपने कर्मचारियों को राज्यव्यापी चुनावों में मतदान के उद्देश्य से सवैतनिक अवकाश लेने के प्रावधानों की सलाह देते हुए एक नोटिस पोस्ट करें।

प्रत्येक राज्यव्यापी चुनाव से कम से कम 10 दिन पहले से यह नोटिस, यदि सम्भव हो, कार्यस्थल पर स्पष्ट रूप से चस्पा किया जाना चाहिए, या अन्यथा जहाँ यह देखा जा सके जहाँ कर्मचारी अपने कार्यस्थल पर आते जाते हैं।

यदि इस नोटिस या अन्य चुनाव संबंधी जानकारी के बारे में आपके कोई प्रश्न हैं, तो कृपया राज्य सचिव की वोटर हॉटलाइन (800) 345-वोट (8683) पर संपर्क करें।

कर्मचारी मतदान के उद्देश्य से भुगतान किया गया समय अवकाश के लिए तभी पात्र होते हैं, जब उनके पास मतदान के लिए काम के घंटों के अलावा पर्याप्त समय न हो। कानून का उद्देश्य उन श्रमिकों को मतदान देने का अवसर प्रदान करना है जो अपनी नौकरी के कारण ऐसा करने में सक्षम नहीं होते हैं।

मतदान चुनाव के दिन सुबह 7:00 बजे से शाम 8:00 बजे तक खुला रहता है।

कर्मचारियों को मतदान करने के लिए जितना समय चाहिए उतना समय दिया जा सकता है, लेकिन अधिकतम दो घंटे का ही भुगतान किया जाता है।

कर्मचारियों को नियोक्ता को अग्रिम सूचना देने की आवश्यकता हो सकती है कि उन्हें मतदान के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता होगी।

नियोक्ता की आवश्यकता हो सकती है कि लिया जाने वाला समय कर्मचारी की पारी की शुरुआत या अंत में ही हो।